



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स्था०/2022/17087

दिनांक: 20 अगस्त, 2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।

विषय: मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम-2017 के अन्तर्गत शिकायत अधिकारी के मनोनयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 17 सितम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना के अध्याय-3 की धारा-9(1) के तहत संस्था में कार्यरत एच०आई०वी० संक्रमित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की सूचना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में श्री शिवम गुप्ता, सहायक कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को नामित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (Annexure-1 संलग्न) पर छमाही सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त सूचना संलग्न प्रारूप पर भरकर क्रमशः कुलसचिव, ए०के०टी०यू० तथा श्री शिवम गुप्ता नोडल अधिकारी की ई-मेल आई०डी० registrar@aktu.ac.in, shivam@aktu.ac.in पर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें जिससे संकलित सूचना उनके द्वारा समयान्तर्गत प्रेषित की जा सके।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(डा० आर० के० सिंह)

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. श्री शिवम गुप्ता, सहायक कुलसचिव/नोडल अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संस्थानों से ई-मेल से प्राप्त सूचना को संकलित कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. स्टाफ आफीसर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।

(डा० आर० के० सिंह)

उप कुलसचिव

